न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 87/16

1. रघुवर दयाल
2. गिरवर दयाल
3. महेश कुमार पुत्रान रामजीलाल जातियान ब्राहम्ण निवासी गण्डाल तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. इमरती देवी पत्नि गिर्राज प्रसाद
2. गिर्राज प्रसाद पुत्र किशन लाल जातियान मीना निवासीयान गण्डाल तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

.... रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास मु0न0 14/11 निर्णय दिनांक 9.6.16)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री श्याम मोहन शर्मा
2. रेस्पोडेटान की और से श्री मो0इस्लाम

निर्णय

दिनांक 12.02.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के मु0नं0 14/11 निर्णय दिनांक 9.6.16 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/सायलान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सायलान के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि (एक गैत) वाके ग्राम गण्डाल तहसील तहसील बामनवास मे स्थित है। जिसका ख0न0 972 रकबा 08 ऐयर है। उक्त भूमि की सीमा इस प्रकार है कि पूर्व मे बाडा बुद्वा पुत्र रतनलाल जाति मीना, पश्चिम मे गैत बाबूलाल पुत्र किशोरी लाल मीना, उत्तर मे भूमि गैर मुमकिन पाल, ख0न0 965, दक्षिण मे नले की भूमि ख0न0 975 है। उक्त वर्णित सीमाओ के मध्य की भूमि ख0न0 972 रकबा 08 ऐयर पर हमारा अपनें बुर्जगो के समय से ही बाडा बना हुआ है। जिसका करीब 60 वर्षो से सायलान के बुर्जग व सायलान उपयोग उपभोग करते रहे है। यह गैत की भूमि सायलान के कृषि सामान रखने तथा पशुओ को बांधने के काम मे आती है। जिसको चारो और डोल बनी हुई है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई वास्ता नही है। उक्त भूमि पर करीब 60 वर्षो से अधिक समय से काबिज होने के कारण एडपर्स पजेशन के आधार पर सायलान उक्त भूमि के कानूनी खातेदार काश्तकार हो चुके है। भूमि हाल ख0न0 972 रकबा 08 ऐयर पुराना एकीकरण ख0न0 612 रकबा 4 बीघा 8 विस्वा था। इस प्रकार भूमि हाल ख0न0 972 साबिक ख0न0 612 की भूमि का ही भाग है। हाल ख0न0 972 रकबा 8 ऐयर से गैरसायलान व अन्य किसी अन्य व्यक्तियो का कोई संबंध वास्ता नही है। भूमि हाल ख0न0 972 रकबा 8 ऐयर जिसका पूर्व मे ख0न0 612 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा था को पूर्व मे गंगासहाय पुत्र पन्नालाल ब्राहम्ण गैरसायल न0 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

को अवैधानिक रूप से आवंटन कर दिया था। जिसके विरूद्व सायलान के पिता ने न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ सन 1974 मे निगरानी पेश की थी। जिसमे जिला कलेक्टर ने आदेश मे सायलान के बाडे की भूमि रकबा 5 विस्वा ,किशोरी पुत्र छीतर मीना के बाडे की भूमि रकबा 4 विस्वा व बदरी पुत्र किशनलाल मीना के बाडे की भूमि रकबा 4 विस्वा तक अलोट मेन्ट आदेश निरस्त कर दिया गया व शेष भूमि का आवंटन यथावत रखा गया । जिसके विरूद्व गैरसायलान द्वारा आज तक कोई अपील पेश नही की गई है। उक्त आदेश की पालना मे सहवन से राजस्व रिकार्ड मे तरमीम नही की गई और प्रतिवादी संख्या 2 के हक मे जिस प्रकार भूमि का आंवटन हुआ था उसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे अमल दर्ज रहा। तहसील बामनवास मे कुछ समय पूर्व सेटलमेंट हुआ जिसमे साबिक ख0न0 612 के नये नम्बर 961,962,963,964,967,968,969,970,971,972,973 ,974,975 बनाये गये है उक्त वर्णित समस्त भूमि की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई। जिसके विरूद्व सायलान व अन्य व्यक्तियो ने एस डी ओ व तहसीलदार बामनवास के समक्ष सन 1982 मे एक उज्रदारी पेश की जिसमे तहसीलदार बामनवास ने अपने निर्णय 15.7.95 मे भूमि ख0न0 972,973 व 974 पर सायलान व अन्य उज्रदारान के बाडे मौके पर बने होने के कारण भूमि को गंगासहाय पुत्र पन्नालाल के नाम दर्ज खाते से कम करने के आदेश दिये गये थे। लेकिन राजस्व कर्मियो की लापरवाही के कारण उक्त खाते से भूमि कम नही की गई। गंगासहाय पुत्र पन्नालाल ने यह जानते हुए कि उक्त तीनो खसरा नम्बरान की भूमि मेरी खातेदारी से कम हो चुकी है इसके उपरान्त भी सायलान के बाडें की भूमि ख0न0 972 रकबा 8 ऐयर को कुछ समय पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गैरसालंय 1 को बेचान कर दिया। जो गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 3 के नाम खाते मे दर्ज हो गई। इस कारण सायलान को उक्त भूमि से जबरन लठठ के जोर पर भूमि ख0न0 972 रकबा 8 ऐयर से बेदखल करने पर गैरसायलान आमदा है। दिनांक 23.1.11 को सायल अपने बाडे पर गये तो गैरसायलान कहने लगे कि इस भूमि को हमने खरीद लिया है यह भूमि हमारे नाम खाते मे दर्ज हो गई है आईन्दा इस बाडे पर मत आना। इस पर सायलान द्वारा कहा कि भूमि पर हमारी काफी पुराना कब्जा है यदि गंगासहाय द्वारा आपके नाम रजिस्ट्री भी करा दी है तो वह एक अवैध दस्तावेज है। इस पर गैरसायलान गुस्से मे हो गये और काट कर मारने की धमकी देने लगे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि हाल ख0न0 972 रकबा 8 ऐयर वाके ग्राम गण्डाल पर सायलान को बेदखल नही कर ना ही अन्य करावे तथा मौके पर [illegible] काट कर नही ले जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ [illegible] पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपीलांट का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत शिविर गण्डाल मे सायलान/अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब गई। उभयपक्ष की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल एवं खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। भूमि ख0न0 459 रकबा 10 ऐयर वाके ग्राम गण्डाल तहसील बामनवास अपीलांट की स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है। जिसको प्रार्थीगण काश्त कर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। गैर सायलान का उक्त भूमि से कोई वास्ता नही रहा है। प्रार्थीगण अपीलांट के खेत की सीमा निम्न प्रकार है पूर्व मे पानी देने का नाडा उसके बाद अप्रार्थीगण का खेत , पश्चिम मे स्वयं प्रार्थीगण का खेत उत्तर मे चमेली बेवा बुद्वा का खसेत है दक्षिण मे बाबू मीना का खेत है। अप्रार्थीगण झूठे व झगडालू किस्म के व्यक्ति है बदयान्ति पूर्वक लाठी की ताकत के बल पर प्रार्थीगण अपीलांट की उक्त वर्णित खेत को हडपना चाहते है इस कारण हमेशा अपीलांट के साथ उक्त खेत पर झगडा फिसाद करते है। अपीलांट द्वारा पूर्ण रिकार्ड अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर भूल की है जबकि सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे है अपूर्णनीय क्षति भी अपीलांट को होगी। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण मे तहसील से मौका रिपोर्ट तलब की थी लेकिन बिना मौका रिपोर्ट आये ही अपीलांट के उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत मे बिना अपीलांट को सूचना दिये ही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने मे भारी भूल की है। आलोच्य निर्णय पक्षपात पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र की ताईद मे सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया था प्रार्थीगण का रिकार्ड एवं मौके पर कब्जा प्रमाणित है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने मे भारी भूल की है। आलोच्य निर्णय अपीलेट कोर्ट के निर्देशो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त फरमाया जावे एवं अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ख0न0 459 रकबा 10 ऐयर ग्राम गण्डाल मे अपीलांट प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे ना ही किसी अन्य से करावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता बहस मे तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्ण रूप से रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात ही पारित किया गया है। जो विधि अनुरूप है। अपीलांट/सायल द्वारा विवादित आराजीयात की [illegible] प्राप्त करने हेतु तहत न्यायालय मे मौका कमिश्नर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र [illegible] किया गया था जिस पर नायब तहसीलदार बामनवास को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गई थी परन्तु सायल/अपीलांट द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट यह कहकर तलब की गई कि मौका रिपोर्ट मे मौके की स्थिति को नही दर्शाया है। जबकि मौका कमिश्नर द्वारा मौका रिपोर्ट मे

12.2.20
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

स्पष्ट किया है कि विवादित आराजीयात ख0न0 972 रकबा 0.08 है0 पर बबूल व कीकर की झाडियो से प्रतीत होता है कि उक्त भूमि दीर्घकाल से ही पडत है जिस पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा प्रदर्शित नही होता है। इससे स्पष्ट है कि सायल/अपीलांट का विवादित आराजीयात पर कोई कब्जा नही है। अपीलांट का कथन रहा कि करीब 60 वर्षो से अधिक समय से कब्जा होने के कारण अपीलांट एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। जबकि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी खाता संख्या 12 सम्वत 2067 से 2070 ग्राम गण्डाल के अनुसार हाल ख0न0 972 की खातेदारी ईमरती देवी पत्नि गिर्राज प्रसाद मीना जो कि अनुसूचित जन जाति का सदस्य है, के नाम होने के कारण ही सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के आधार पर विधि अनुरूप खारिज किया हे। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि राजस्व रिकार्ड मुताबिक जमाबंदी खाता संख्या 12 सम्वत 2067 से 2070 वाके ग्राम मण्डाल के अनुसार हाल ख0न0 972 की खातेदारी ईमरती देवी पत्नि गिर्राज प्रसाद मीना जो कि अनुसूचित जन जाति का सदस्य है, के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड मे विवादित आराजी का अनुसूचित जन जाति के सदस्य के नामं अंकन होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 द्वारा बाधित माना गया है तथा अपीलांट का प्रथम दृष्टया केस प्रकट नही होता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतः आदेश है कि अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के मु0न0 14/11 निर्णय दिनांक 9.6.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

12-2-20

(बी0एल0रैगर)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.26 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: